

जनसुनवाई कार्यवाही विवरण

“चाइना क्ले एवं सिलिका सेण्ड माइनिंग प्रोजेक्ट नागौर क्लस्टर-10” कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA(ROM), क्लस्टर क्षेत्र 53.3910 हेक्टेयर, गांव-टांगला व टांगली, तहसील- जायल, जिला- नागौर आवेदक-माइनिंग इन्जीनियर, डिपार्टमेन्ट ऑफ माइन्स और जियोलॉजी, राजस्थान सरकार, नागौर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर कि अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2022 को सुबह 11:00 बजे कार्यालय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र(IT-CENTRE), ग्राम टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर (राजस्थान) में आयोजित जनसुनवाई कि कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :—

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमांक RPCB/RO/NGR/PUB-137/1390-1394 दिनांक 28.09.2022 एवं कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2022 / 5956 दिनांक 20.09.2022 कि अनुपालना में “चाइना क्ले एवं सिलिका सेण्ड माइनिंग प्रोजेक्ट नागौर क्लस्टर-10” कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA(ROM), क्लस्टर क्षेत्र 53.3910 हेक्टेयर, गांव- टांगला व टांगली, तहसील- जायल, जिला- नागौर आवेदक-माइनिंग इन्जीनियर, डिपार्टमेन्ट ऑफ माइन्स और जियोलॉजी, राजस्थान सरकार, नागौर के खनन से सम्बंधित जनसुनवाई हेतु दिनांक 04.11.2022 को आयोजित कि गई। जनसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जनसुनवाई कि आमसूचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति एवं नागौर दैनिक भास्कर में दिनांक 29.09.2022 में प्रकाशित करवाई गई परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

जनसुनवाई के प्रारंभ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया तत्पश्चात श्री मोहनलाल खटनावलिया अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारंभ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरण सलाहकार को आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से पर्यावरण सलाहकार टीम मैसर्स एटमॉस सस्टेनेबल सॉल्युशन प्राइवेट लिमिटेड, के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में, परियोजना की स्थिति, लोकेशन मैप, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपशिष्ट गुणवत्ता प्रबंधन,) व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपशिष्ट को अनुमोदित माइंनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रबंधन तथा मण्डल मानकों के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर एवं श्री मोहनलाल खटनावलिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया।

इसी क्रम में उक्त खनन परियोजना से संबंधित व्यक्तियों से में से कुछ विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए गए जो निम्न प्रकार हैं:-

1. श्री भूराम जी, ग्राम –टांगला, द्वारा बताया गया कि ये लोग पेड़ पौधों के बारे में इतना बता रहे हैं लेकिन पेड़–पौधे कहीं नहीं हैं।

इसके प्रत्युतर में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि जो भी सारी चीजें यहां बताई गई उसमें सबसे पहले एक लाईन बोली गई कि पर्यावरणीय स्वीकृति अर्थात् एनवायरमेन्ट क्लीयरेन्स, यह सरकार द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो सब चीजें यहां बताई गई है यह सारी चीजें उस पत्र के अन्दर सशर्त लिखित में आती है। और परियोजना प्रस्तावक को हर छः महीने के अन्दर उसकी अनुपालना करने के लिए बाध्य होता है, अगर छः महीने के अन्दर इसकी अनुपालना नहीं करता है तो यह पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र रद्द हो जाता है यानि ऐसा नहीं है जो चीजे बताई गई कि पेड़ पौधे यहां लगेंगे कितने लगेंगे इनको लगाने के लिए प्रस्तावक बाध्य है इनको करना ही पड़ेगा।

2. श्री सुरेश छाबा, (सरपंच प्रतिनिधि ग्राम – छावटा), द्वारा बताया गया कि चाइना क्ले माइस में भारी वाहनों के आवागमन के लिए गांव से बाइपास या कोई दूसरे रास्तों से

निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा चाइना कले की जितनी भी माइंस है वो नाड़ी और तालाब की अंगौर भूमि के आस-पास है, उन अंगौर भूमि के लिए तारबंदी/जाली करवाना और चारों तरफ पौधे करवाना ओर नाड़ी में पानी आवागमन के लिए जो उबड़-खाबड़ जमीन है उसको समतल करवाना ओर जो अवांछित पौधे हैं जैसे अंग्रेजी बबूल है जिनसे पानी खराब होता है नाड़ी का, या जो गंदा पानी आता है उसकी आवागमन की रोकथाम के लिए कुछ व्यवस्था करवानी है, दूसरा हमारे यह जो गांव के चारों ओर जो सड़के हैं वो ग्रेवल है या कच्ची सड़के हैं, डामर सड़क केवल स्टेट हाइवे से टांगला केवल एक ही सड़क आ रही है तो टांगला से फरड़ौद के लिए डामरीकरण करवाना जो भारी वाहनों के लिए सबसे बढ़िया रास्ता जो 5 किमी. लम्बा है, दूसरा आगे टांगले में बिणजारों की ढाणी है जिसके आस पास खूब चाइना कले माइंस है उनके लिए डामर सीधा छावटा कलां से होते हुए 101 के लिए डामर जाती है वो डामर करवानी, एक है छावटा कला से 11 के लिए सड़क करवानी ओर एक है टांगला से रोल के लिए सीधी सड़क जाती है उसके लिए डामर करवाना, दूसरा यहां लाईट की व्यवस्था नहीं है। नाइट में एक जी.एस.एस. पहले आंवटित था लेकिन हुआ नहीं गांव में शाम को अंधेरा होने के बाद सारी गलियों में अंधेरा रहता है उसके लिए स्टीट्र लाईटें एक हाई मास्क प्रत्येक गांव में एक एक हाई मास्क लाइट लगवानी। ओर एक सामुदायिक हॉस्पिटल के लिए जगह पंचायत उपलब्ध करवा देगी उसकी स्वीकृति के लिए आवेदन करवाना है ताकि यहां चिकित्सा की व्यवस्था हो सके और एक मंदिरों में गार्डन की व्यवस्था करवानी है यहां एक सात गांव की गौशाला है उसमें गायें भी खूब सारी है उनके लिए सहायता राशि निश्चित की जाए एक रशीद बुक जिससे बाहर की गाड़ियां आती है जिनके लिए पचास रुपये, सौ रुपये एक शुल्क निर्धारित किया जाये, उसका उपयोग गायों के लिए चारे-पानी की व्यवस्था के लिए किया जा सके बाकि ओर जो भी चीजे गांव वाले बतायेंगे ओर जो भी बोला है वही लिखित में दे देंगे। श्री सुरेश छावा द्वारा जन सुनवाई के दौरान लिखित में ज्ञापन दिया गया। जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट संख्या 03 पर संलग्न है।

3. श्री हरिराम गांव टांगला (9784723933) द्वारा बताया गया कि यहां पर दो हजार लेबर काम कर रही है और हजार लेबर को रोजगार मिला है मशीनरी से भी बीस/तीस/पचास लोगों को रोजगार मिला है तथा ट्रांसपोर्टेशन से भी लोगों को रोजगार मिलता है तथा ये फायदे होते हैं, माइनिंग से गर्वमेन्ट को राजस्व बढ़ता है तथा रोजगार मिलता है।
4. श्री हरिराम सांगवा गांव ग्यार (7732925311) के द्वारा बताया गया कि इस परियोजना से बहुत फायदा होगा अभी थोड़ी माइन्स चल रही है जिससे भी हो रहा है ओर आगे भी होगा।

5. श्रीमान ए.डी.एम. साहब द्वारा पुन आग्रह किया गया किसी को कोई आपति आक्षेप सुझाव है तो वे मौखिक या लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद भी कुछ समय तक अपनी आपति या सुझाव पेश कर सकते हैं।
6. श्री देवकरण गांव टांगला द्वारा बताया गया कि रात को खाने के समय लाईट चली जाती है और खाना खाने के पश्चात् आती है। जिससे वृद्ध लोगों को परेशानी होती है।

जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जन सुनवाई के पश्चात् उक्त खनन परियोजना से संबंधित एक सुझाव/आपति/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त हुआ है। (संलग्न-ख)

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी ग्रामवासियों को सुझाव प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद कहा एवं जन-सुनवाई समाप्ति की घोषणा के साथ जन-सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

(स्रिविता)

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर

(मोहन लाल खटवानिया)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर (राजस्थान)

उपस्थिति पत्रक

मेरा गाइनिंग इंजीनियर, डिपार्टमेंट ऑफ गाइन्स और जियोलॉजी, राजस्थान सरकार, गाव दागला व दागली, तहसील - जायल, जिला - नागौर के "धाइना कले एवं शिलिका सेण्ट गाइनिंग प्रोजेक्ट नामौर बल्टर 10" कुल अनुमति बल्टर उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA(ROM), बल्टर संख्या 53 3910 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्थीकृति देश लोक सुनाई।

स्थान - भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आईटी सेवा) गाव - दागला, तहसील - जायल, जिला - नागौर।

दिनांक - 04.11.2022

समय - प्रात 11:00 बजे से

क्र.सं.

नाम व पता

मोबाइल नम्बर

हस्ताक्षर

1.	मीहनलल क्षेत्रनान्धिय ADM नामांकुर 9514252652	
2.	Savita, Ro, nagaur 9983411222	Navita
3.	Chaitanya Saraw, ME. 8094356326	
4.	Giraj Gram Panchayat, Nagaur 9549020647	
5.	Unnati Bhawan	Edu. Advisory Address 501N.
6.	गोपनियां	
7.	अवधारा	9582676804 9175112,
8.	लगड़ा	98283414617
9.	लगड़ा	9664007697
10.	श्रीराम कुमार	6378591344 9210210511
11.	सुनिश्च दागला	9636434585
12.	लगड़ा (42011/दागला) 2057550749	9461102604
13.	22.11.2022	86350069323

उपस्थिति पत्रक

मेरी गाइनिंग इंजीनियर, हिपोटेमेन्ट ऑफ गाइनिंग और जिलोलीनी, सञ्चार सरकार, गोव-दागला व दागली, तहसील-जागल जिला-नाशीर के "गाइना" वले एवं रिसिको गोव गाइनिंग प्रोजेक्ट नाशीर बलस्टर 10" कुल अनुमानित बलस्टर उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA(ROM), बलस्टर धोन 53,3910 हेक्टेयर, की पानीकरणीय स्थिकृति हेतु लोक सुनवाई।

स्थान - भारत नियाण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई ली सेन्टर) गोव दागला, तहसील- जागल, जिला-नाशीर

जिला - नाशीर।

दिनांक - 04.11.2022

समय - प्रातः 11:00 बजे से

14.	जगदीश दागल	9460891892	जगदीश
15.	पुरबराम डागल	9035118870	पुरबराम
16.	दीपक दागल	9649959296	दीपक
17.	जगदीश दागल	9460786065	जगदीश
18.	मोह. रिदू	827865906	मोह. रिदू
19.	रामकौर दागल	94134119961	रामकौर
20.	जगदीश दागल	8104231597	जगदीश
21.	नवरत्न दागल	9024242388	नवरत्न
22.	मुशाराम दागल	9834009795	मुशाराम
23.	एस.नानाराम	9649734817	एस.नानाराम
24.	हुक्कुमान कडवा	99588289522	हुक्कुमान कडवा
25.	पालाम दागल	99837819	पालाम
26.	हुक्कुमान दागल	97561723533	हुक्कुमान दागल
27.	जावीर	9799548926	जावीर

उपरिथिति पत्रक

मेरी गाइनिंग इन्जीनियर, बिपार्टेनेट ऑफ गाइन्स और जियोलॉजी संस्थान सरकार, गाँव दागला व दागली, तहसील जायल, जिला नागौर के "गाइना कले एवं रिहिका सेप्ट गाइनिंग फॉर्मेट नागौर बल्टर 10" कुल अनुमानित बल्टर उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA(ROM), बल्टर होम 53.3910 हेक्टेएर, की पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु लोक सूची।

स्थान - भारत नियंत्रण संघीय सेवा केंद्र (आई.टी. से.टर) गाँव दागला, तहसील जायल, जिला नागौर
जिला - नागौर।

दिनांक - 04.11.2022

समय - प्रातः 11:00 बजे से

28.	द्वारा नीरा	9135191776	प्राप्ति
29.	हरीराम शांगवा	7732525311	प्राप्ति
30.	निरोड़ लह	9828702840	निरोड़ लह
31.	नेमानी दाम	9958659110	नेमानी
32.	भृष्णीम दाम	6376701330	भृष्णीम
33.	पुष्टि राम खोख	9799837855	पुष्टि राम
34.	दाला राम	9928138299	दाला राम
35.	मनरलाल	6378980915	मनरलाल
36.	भरत स्तोजा	9928260732	भरत स्तोजा
37.	पर्वती		पर्वती
38.	पुष्टि राम खोख	9799837855	पुष्टि राम खोख
39.	shivdayal Godara	9549956601 Geologist	शिवदयल गोदारा
40.	मुमुक्षु	9784781132	मुमुक्षु
41.	विवेक	7734995193	विवेक

उपस्थिति पत्रक

मेरी माइनिंग इन्जीनियर, डिपार्टमेन्ट ऑफ माइन्स और जियोलॉजी, राजस्थान सरकार, गोवा-टामला व टामली, तहसील जायल, जिला-नागौर के "भाइना कले एवं सिलिका सेप्ट माइनिंग प्रोजेक्ट नागौर कल्स्टर-10" कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA(ROM), कल्स्टर लोड 53.3910 ट्रेक्टर की पर्यावरणीय स्थिरता हेतु लोक सुनवाई।

स्थान - भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई टी सेन्टर) गोवा टामला, तहसील- जायल, जिला- नागौर

जिला - नागौर।

दिनांक - 04.11.2022

समय - प्रातः 11.00 बजे से

42.

सालिनिंग क्वांट 510 ट्रैक्टर चाला 26 त

9772831100

जिला

43.

रान्हुवांड 510 स्क्रूचारमाला 9982614210

21 नवंबर 2022

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

कार्यालय ग्राम पंचायत टांगला

इन्द्रा
(सम्पर्क)
मो. 9414270024

पंचायत समिति, जायल (नागौर)

निवास: इन्द्रा W/o सुरेश छावा
मु.पो. छावटा खद्द
तहसील जायल, जिला-नागौर (राज.)

क्रमांक: न्या.पं. दस्तावेज़ 2022-23/47
दिनांक ८.११.२०२२

श्रीमान् उत्तरिक्षत जिस्टर अलेक्स्टर
नागौर (राज्य)

विषय:- - राजनावले बक्ट-बिल्डर एवं भाय-फलेट
परियोजना में ग्राम पंचायत टांगला के विभाजन का
कि ऐन दिया जाए।

ग्राहक जी,

उपरोक्त विषय में विभाजन के लिए ग्राम पंचायत टांगला
में राजनावले बक्ट-बिल्डर एवं भाय-फलेट (आषुद्धा) बर्बाद भाय-फलेट
की बर्बाद-परियोजना की विभाजन हिस्पिया लाई जाए जो लिए
तेल टांगला में दिनांक - ८.१.२०२२ तो इसी तरीके द्वारा
ग्राम पंचायत द्वारा में बर्बाद-पियावा के जमा-RSMET व पर्यावरण
एवं पियावा RSMET की जांशि पंचायत विभाजन कार्यों के लिए
जांशि विभाजन की उत्तराधारी जो जारी है
जांशि विभाजन की मानो:-

① राजनावले उत्तराधारी जो वाहनों के लिए नाम १.१०५
में लाइका का डिजिटल विभाजन जो कि निम्न है

(i) टांगला-डो करडो-चाउल लाई ८.८५ लैटरीजो

(ii) टांगला-डो किलो-लाइक लाई ८.८५ लैटरी

मापदंड (iii) टांगला-छावटा-खुदी लैटरी लाई ८.८५ लैटरी

मापदंड (iv) टांगला लेन्जारी की टांगला-छावटा-खुदी लैटरी ८.८५ लैटरी

② ग्राम पंचायत के वाही-रुपरुप ग्रामों के बड़ी लाई ८.८५ लैटरी
लैटरी लाई के द्वारा ग्राम पंचायत ८.८५ लैटरी लैटरी



कार्यालय ग्राम पंचायत टांगला

इन्द्रा

(मरपंच)

मो. 9414270024

पंचायत सभिति, जायल (नागौर)

विवास : इन्द्रा W/o सुरेश छाया

पु.पो. छावदा खुदं

तहसील जायल, जिला-नागौर (गज.)

दिनांक ५.४.११.२०२२

क्रमांक :

— (२) —

(३) ग्राम पंचायत की तालिका की उपीर अभिनीत वा वापसीतीतरी, तथा व तारफ़ी के लिए उचित कार्य करवाचा।

(४) तालिका व नाड़ी लैडी करवाचा तथा वही लैल वापसीती लिए तालिका व नाड़ी की वापसी को वापसीती (चाइनापो और अलाइ) करवाचा ताके रिने का एवं उचित लंबे वक्त तक वापसीती किया जा सके।

(५) ग्राम पंचायत के उपाधी दोज वा गारी बाहों के आवागमन पर विकलांग वर्गे गारी बाहों को लैडीवारा वा उपाधी दोजे वा आवागमन के लिए पालवा करवाचा।

(६) ग्राम पंचायत के लिए व्यापक उपयोग, ऐसे भैरवाज, तथा गाड़ियां लिंगित हैं।

(७) ग्राम पंचायत के लिए निची लिंगार्थ वायों हैं जो सहायता वाली तथा गौशाला-वा गारी के गाल गोंगों हैं तथा लज्जा वाली के लिए पुताहित तरीके वज्र उपर्युक्त करवाने के लायक हैं।

अत अधिक जी. लिंगिल है के उपर लिंगहोंगा के ग्राम पंचायत द्वारा के लिए उपयोग करके सम्बन्ध व्यापक वायों हैं।

गौशाला वा गारी के लिए हैं।

गौशाला
गारी
गोंगों
गोंगों

जगड़ीरा वायर
गोंगों

कृष्ण
मरपंच
गौशाला वा गारी

मूररलाल
गौशाला वायर





